

प्रेषक,

रेणुका कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2020

विषय: नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(I), दिनांक 24.03.2020 द्वारा देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के पश्चात यह संज्ञान में आया है कि इस लॉकडाउन के पूर्व काफी संख्या में मजदूर, श्रमिक व अन्य कामगार व्यक्ति देश के विभिन्न राज्यों तथा प्रदेश के शहरों में कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति में उक्त श्रमिक/मजदूर व कामगार अपने मूल निवास स्थान के लिए लम्बी-लम्बी दूरी तय करके अपने मूल स्थानों की ओर वापस जा रहे हैं।

कोविड-19 वायरस से संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत उक्त श्रमिक/मजदूर व कामगारों की इस यात्रा से संक्रमण फैलने की सम्भावना की स्थिति से बचने के लिए इन व्यक्तियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान यथास्थान पर ही किसी उपयुक्त भवन/स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, धर्मशाला इत्यादि को चिन्हित कर उसे अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल में परिवर्तित कर इन व्यक्तियों को उनमें रखा जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि यह कैम्प सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो।

जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि इन कैम्प में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में पर्याप्त भोजन, पेयजल, साफ शौचालय तथा साबुन आदि की व्यवस्था हो तथा कैम्प के परिसर में समुचित साफ-सफाई रखी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इन कैम्प में भीड़ न हो, रखे गये व्यक्तियों में पर्याप्त social distancing हो तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त चिकित्सा उपचार की व्यवस्था हो।

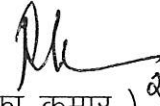
जनपदों को इन आश्रय स्थल/स्क्रीनिंग कैम्प के संचालन हेतु धनराशि आवंटन की कार्यवाही प्रथम से की जा रही है। जिलाधिकारी यदि चाहें तो आश्रय स्थल/स्क्रीनिंग कैम्प

में भोजन आदि की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं का सहयोग भी ले सकते हैं।

यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति आश्रय स्थल/स्क्रीनिंग कैम्प में आने में असमर्थ है, तो उस दशा में ऐसे व्यक्ति/परिवार हेतु निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-151/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी जिसके लिए धनराशि का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है।

समस्त जिलाधिकारी इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, तथा संचालित किये जा रहे आश्रय स्थल/स्क्रीनिंग कैम्प का विवरण प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें।

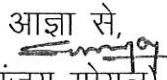
भवदीय,


(रेणुका कुमार) 24/3/2020
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।